न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालूता

वाद संख्या 1 / 338 / 12.12.2012

अनुवान

1. बिरदा सूरदास पुत्र श्री रेवड राम कौम कोली नि0 श्यालूता तह0 राजगढ —वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ —प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित— 1. वादी
2.नायब तहसीलदार टहला

निर्णय दिनांक 05.06.2018

आज यह दावा वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्पकोर्ट ग्राम पंचायत श्यालूता पर पेश हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा इस न्यायालय में दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 1926 / 2178 रकबा 2.52 हैक्टेयर वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ में स्थित है जो साबिक खसरा न0 1370 मिन,1371 मिन वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ से बना है। गत खसरा न0 1371 मिन सिवायचक का काफी बड़ा नम्बर था जिसमे से भूआवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.1975 को वादी को 5 बीघा भूमि आवंटन की थी व दखल दिया गया था। जिसका वादी के हक में गैर खातेदारी का नांमातकरण संख्या 190 दिनांक 07.03.1976 दर्ज व स्वीकार किया गया तथा आंवटित भूमि का साबिक खसरा नम्बर 1551 / 1371 रकबा 5 बीघा कायम किया तभी से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा आराजी को अपनी मेहनत व लागत से काबिल काश्त भी किया गया। यह है कि बंदोबस्त संवत 2046 में संपन्न हुआ और बंदोबस्त विभाग के कर्मचारीयो द्वारा वादी को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 1371 व उसके लगता हुआ खसरा नम्बर 1370 मिन को मिलाकर एक खसरा नम्बर 1926 / 2178 रकबा 2.52 हैक0 कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी का 5 बीघा हिस्सा तक उक्त इन्द्राज बातिल व बेअसर है तथा काबिल दुरस्ती योग्य है। बन्दोबस्त विभाग को साबिक के अनुसार वादी को 5 बीघा आराजी का खातेदार दर्ज करना चाहिए था। परंतु उनके द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के जो सिवायचक का इन्द्राज किया गया है वह गैर कानूनी है। अब प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज की आड़ में वादी को उसकी उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है।जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो

वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । अंत मे दावा वादी डिक्री किया जा कर साबिक के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1926/2178 रकबा 2.52 हैक0 वाके ग्राम श्यालूता में से 1. 25 हैक0 का साबिक तितम्बा काटा गया है के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वाद–वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार द्वार उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर वाद–वादी तथ्यों को आंशिक स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1370 व 1371 मिन मिलाकर 10 बीघा रकबा जिसका हाल नम्बर 1926/ 2178 रकबा 2. 52 हैक0 बनाया है। लेकिन उक्त साबिक खसरा नम्बर का कितना–कितना रकबा मिलाया गया है। मिलान क्षेत्रफल में स्पष्ट नहीं किया है।वादपत्र का बिन्दु संख्या 2,3 काबिल स्वीकार है शेष बिन्दु कानूनी है। अंकित किया गया।इसके उपरांत प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1926/1978 रकबा 2.52 हैक0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ में से 1.25 हैक0 मुताबिक साबिक खसरा न0 1551/1371 रकबा 5बीघा व उसका नक्शा एक्स पर्चा साबिक में काटा गया तितम्बा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है– वादी
2. आया वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1926/1978 रकबा 2.52 हैक0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ में से 1.25 हैक0 के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल न करे व आराजी को दीगर जगह आंवटन/नियमन न करें।– वादी
3. अन्य दादरसी–

इसके उपरांत साक्ष्यवादी ने वादी की ओर से स्वयं वादी व अनिल कुमार का शपथ–पत्र पेश किया तथा उनके द्वारा वादी–वादी तथ्यों की पुष्टि करते हुए आराजी विवादित पर आवंटन के समय से आज दिनांक तक वादी का कब्जा काश्त होने की पुष्टि की तथा सबूत में दस्तावेज आंवटन पट्टा पी01 नांमतकरण संख्या 190 पी0 2, जमाबंदी संवत 2038–41 पी03 मिलान क्षे0 2046 पी04,नक्शा ट्रेस पी05, हाल जमाबंदी पी06 पेश की तथा दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

साक्ष्य प्रतिवादी ने पैरोकार सरकार की ओर से साक्ष्य पेश नहीं की गई।

आज पत्रावली का वास्ते निर्णय अवलोकन किया।पत्रावली पूर्व से ही बहस में चल रही है। प्रकरण में तनकीवार निर्णय किया जाना है, जो निम्नानुसार है।

1. तनकी संख्या .01 को सिद्ध करने का भार वादी पर था।वादी द्वारा पुष्टि में दस्तावेज आंवटन पट्टा पी01 नांमतकरण संख्या 190 पी0 2, जमाबंदी संवत 2038–41 पी03 मिलान क्षे0 2046 पी04,नक्शा ट्रेस पी05, हाल जमाबंदी पी06 पेश किये गये है तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं व अनिल कुमार का शपथ पत्र पेश किया है। जैसा कि वादी का वाद पत्र में मुख्य कथन यह रहा है कि हाल आराजी खसरा न0 1926/2178 रकबा 2.52 हैक्टेयर वाके

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ में स्थित है जो साबिक खसरा न0 1370 मिन,1371 मिन वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ से बना है। गत खसरा न0 1371 मिन सिवायचक का काफी बड़ा नम्बर था जिसमे से भूआवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.1975 को वादी को 5 बीघा भूमि आवंटन की थी व दखल दिया गया था। जिसका वादी के हक में गैर खातेदारी का नांमातकरण संख्या 190 दिनांक 07.03.1976 दर्ज व स्वीकार किया गया तथा आंवटित भूमि का साबिक खसरा नम्बर 1551/1371 रकबा 5 बीघा कायम किया तभी से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा आराजी को अपनी मेहनत व लागत से काबिल काश्त भी किया गया। यह है कि बंदोबस्त संवत 2046 में संपन्न हुआ और बंदोबस्त विभाग के कर्मचारीयो द्वारा वादी को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 1371 व उसके लगता हुआ खसरा नम्बर 1370 मिन को मिलाकर एक खसरा नम्बर 1926/2178 रकबा 2.52 हैक0 कायम कर सिवायचक दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी का 5 बीघा हिस्सा तक उक्त इन्द्राज बातिल व बेअसर है तथा काबिल दुरस्ती योग्य है। बन्दोबस्त विभाग को साबिक के अनुसार वादी को 5 बीघा आराजी का खातेदार दर्ज करना चाहिए था। परंतु उनके द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के जो सिवायचक का इन्द्राज किया गया है वह गैर कानूनी है व काबिल दुरस्ती योग्य है। उक्त तथ्यों की पुष्टि में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पी1 के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य वादी साबित है कि साबिक खसरा न0 1551/1371 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम श्यालूता वादी बीदो सूरदास पुत्र रेवड जाति कोली को दिनांक 20.09.1972 को आंवटित हुई थी। दस्तावेज पी02 नांमातकरण संख्या 190 से यह तथ्य वादी भी साबित है कि उक्त आंवटित आराजी का वादी के हक में गैर खातेदारी का नांमातकरण दर्ज व स्वीकार हुआ है। दस्तावेज पी03 नक्शा में अंकित इन्द्राज से वादी को आंवटित भूमि का पृथक से तितम्बा भी काटा गया तथ्य साबित है। जमाबन्दी संवंत 2038–41 जो पी03 है के अंकित इन्द्राज से वादी का आंवटित भूमि खसरा संख्या 1515/1369 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदार दर्ज होना साबित है, मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 जो पी4 है के अंकित इन्द्राज से हाल खसरा नम्बर 1926/2178 रकबा 2.52 हैक0 साबिक खसरा नम्बर 1370 मि0 व 1371 मि0 से बनना साबित है। हाल जमाबंदी संवत 2065–68 जो पी06 है के अंकित इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1926/2178 रकबा 2.52 हैक0 खाता संख्या 01 वाके ग्राम श्यालूता सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजात से वाद–वादी तथ्यों की सही होने की पुष्टि होती है।प्रस्तुत शपथ –पत्रों से वादी का आराजी विवादित पर कब्जा काश्त होना भी साबित होता है। वादी का यह कथन भी सही है कि बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है कि वो बिना किसी आदेश के इस प्रकार का इन्द्राज परिवर्तन करें और यदि उनके द्वारा बिना किसी आदेश के इन्द्राज परिवर्तन किया गया है तो वह काबिल दुरस्ती योग्य है। उक्त प्रकरण में आराजी विवादित साबिक 1371 में से वादी को 5 बीघा भूमि आंवटन होना उसका नया नम्बर 1551/1371 कायम होकर वादी के नाम गैर–खातेदारी होना साबित है तो बंदोबस्त विभाग को साबिक के अनुसार ही वादी को गैर खातेदार दर्ज करना चाहिए था। उक्त तथ्यों को सही होने

की पुष्टि पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब में भी की गई है । इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज से व साक्ष्य शपथ–पत्रों से तनकी संख्या 01 के तथ्यों की पुष्टि होने के कारण तनकी संख्या 01 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है तथा वादी हाल इन्द्राज सिवायचक को बमुकाबले वादी बातिल व बेअसरकरार दिया जाकर साबिक के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 1926/2178 रकबा 2.52 हैक्0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ़ में से 1.25 हैक्0 का साबिक तितम्बे के अनुसार खातेदार–काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

2. तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी पर था। जैसाकि तनकी संख्या 01 के निर्णय व विवेचन के अनुसार आराजी हाल खसरा न0 1926/2178 रकबा 2.52 हैक्0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ़ में से 1.25 हैक्0 का साबिक तितम्बे के अनुसार खातेदार–काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 02 का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 1926/1978 रकबा 2.52 हैक्0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ में से 1.25 हैक्0 के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल न करे व आराजी को दीगर जगह आंवटन/नियमन न करें।

3. अन्य दादरसी– तनकी संख्या 01 व 02 के निर्णय के अनुसार दावा वादी काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारक व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी हाल आराजी खसरा न0 1926/2178 रकबा 2.52 हैक्0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ़ में से 1.25 हैक्0 तक डिक्री किया जाता है। हाल इन्द्राज बमुकाबले वादी बातिल व बेअसरकरार दिया जाकर उक्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी उक्त आराजी को साबिक नक्शे में काटे गये तितम्बे के अनुसार 2.52 हैक्0 आराजी में से 1.25 हैक्0 आराजी का पृथक से तितम्बा कटवाकर अपने नाम हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो उक्त आराजी विवादित से वादी के 1.25 हैक्0 आराजी में उसके कार्यकाश्त में मजाहमत पैदा न करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट श्यालूता पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट श्यालूता

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालूता

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/338/2012	इस्तकरारहक	12.12.2012	05.06.2018

अनुवान
1. बिरदा सूरदास पुत्र श्री रेवड राम कौम कोली नि0 श्यालूता तह0 राजगढ —वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ —प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित— 1. वादी
2. नायब तहसीलदार टहला

पर्चा डिक्री दिनांक 05.06.2018

दावा वादी इस्तकरारक व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी हाल आराजी खसरा न0 1926/2178 रकबा 2.52 हैक0 वाके ग्राम श्यालूता तह0 राजगढ़ में से 1.25 हैक0 तक डिक्री किया जाता है। हाल इन्द्राज बमुकाबले वादी बातिल व बेअसरकरार दिया जाकर उक्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी उक्त आराजी को साबिक नक्शे में काटे गये तितम्बे के अनुसार 2.52 हैक0 आराजी में से 1.25 हैक0 आराजी का पृथक से तितम्बा कटवाकर अपने नाम हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो उक्त आराजी विवादित से वादी के 1.25 हैक0 आराजी में उसके कार्यकाश्त में मजाहमत पैदा न करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2018 को तैयार की गई।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट श्यालूता